Introduction and Passing of the Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2023-2024

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2023-24.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर- 41, माननीय वित्त मंत्री जी ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

?That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2023-24, be taken into consideration.?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?िक वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कितपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 से 3 विधेयक के अंग बने ।